न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) रमाबाई नगर (कानपुर-देहात)।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-३४३/२०१६

सरकार ....बनाम.................रमेश सिंह उर्फ गुडडू।

धारा-२५ आयुध अधिनियम।

थाना-गजनेर, कानपुर देहात।

आरोप

मैं ,निशेष कुमार, विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) रमाबाई नगर (कानपुर-देहात) आप रमेश सिंह उर्फ गुडडू को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ।

१. यह कि दिनांक २१.०८.२०१४ को समय करीब ९.३५ पी०एम० वहद स्थान पुल के आगे जसवापुर जाने वाला रोड वहद ग्राम जसवापुर थाना गजनेर, कानपुर देहात में आपको पुलिसपार्टी द्वारा पकड़ा गया तथा आपके कब्जे से एक अदद तमंचा ३१५ बोर व ३ जिंदा कारतूस नाजायज बरामद हुए जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था। आपका उक्त कृत्य आयुध अधिनियम की धारा-२५ के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दि.१४.०९.२०१७

(निशेष कुमार)
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
रमाबाई नगर (कानपुर-देहात)

उक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया व विचारण चाहा।

दि.१४.०९.२०१७

(निशेष कुमार)
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
रमाबाई नगर (कानपुर-देहात)

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) रमाबाई नगर (कानपुर-देहात)।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-३४४/२०१६

सरकार ....बनाम.................रामऔतार उर्फ गुडान।

धारा-२५/२७ भा०दं०सं०।

थाना-गजनेर, कानपुर देहात।

आरोप

मैं ,निशेष कुमार, विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) रमाबाई नगर (कानपुर-देहात) आप रामऔतार उर्फ गुडान को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ।

१. यह कि दिनांक १२.१२.२०१४ को समय ६.३० बजे शाम स्थान शुक्ला मार्केट वहद ग्राम सरवनखेड़ा थाना गजनेर, कानपुर देहात में आपके पास से एक अदद देशी तमंचा १२ बोर तथा चार जिंदा कारतूस १२ बोर बरामद हुए जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था। आपका उक्त कृत्य आयुध अधिनियम की धारा-२५/२७ के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दि.१४.०९.२०१७

(निशेष कुमार)
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
रमाबाई नगर (कानपुर-देहात)

उक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया व विचारण चाहा।

दि.१४.०९.२०१७

(निशेष कुमार)
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
रमाबाई नगर (कानपुर-देहात)

दि.१४.०९.२०१७

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी।

अभियुक्त जेल से तलब होकर हाजिर है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आरोप के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उन तथ्यों, साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया जिनके आधार पर अभियुक्त का परीक्षण किया जाना है। मैंने केस डायरी में विवेचनाधिकारी द्वारा गवाहों के लिखे मौखिक बयानों तथा विवेचक द्वारा केस डायरी में संलग्न पुलिस अभिलेखों का परिशीलन किया है। बचावपक्ष ने मेरे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार न हो। दूसरे शब्दों में अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोपपत्र बेबुनियाद नहीं है। कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त आरोप अं०धारा-२५/२७आयुध अधिनियम के आरोप से आरोपित किये जाने योग्य है।

तदानुसार अभियुक्त को धारा-२५/२७ आयुध अधिनियम के आरोप से आरोपित किया गया। लगाये गये आरोप का विवरण अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने अस्वीकार कर परीक्षण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि. २८.०९.२०१७ को पेश हो। साक्षीगण जरिये सम्मन तलब किये जायें।

विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)कानपुर देहात।